राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांकः एफ.8(1)वीडीए/न्यू.म./श्रम/2000/पार्ट–1/ 19804 दिनांकः 30.09.2020

## अधिसूचना

संख्या एफ.8(1)(वी.डी.ए.)न्यू.म./श्रम/2000:–चूंकि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम–11, सन् 1948) की धारा 5 की उपधारा (2) सपठित धारा 3 की उपधारा (1) के उपखण्ड (क) तथा (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किसी पत्थर तोड़ने या पीसने में नियोजन (खानों के बाहर), ग्लास एवं चाइनावेयर, नमक उद्योग, ऊनी गलीचे बनाने वाले तथा दुशाले बुनने वाले सस्थान के नियोजन तथा पापड़ उद्योग में नियोजित कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरे एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की व्यवस्था श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(6)श्रम/86 दिनांक 11 नवम्बर, 1999 के द्वारा की गई थी।

चूंकि अधिसूचना दिनांक 11 नवम्बर, 1999 में यह तय किया गया था कि परिवर्तनशील महंगाई भत्ता जिसकी गणना श्रम ब्यूरो शिमला के अजमेर तथा जयपुर केन्द्रों द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचंकांक 2003 (1960=100) (माह जनवरी, 1999 से जून, 1999 के औसत) को आधार मानते हुए इसके ऊपर देय होगा। इस प्रकार परिवर्तनशील महंगाई भत्ता जिसकी गणना प्रति वर्ष विगत माह जुलाई से जून के औसत सूचकांक (जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर की जावेगी) के आधार पर देय होगा।

चूंकि श्रम आयुक्त, राजस्थान एवं सक्षम प्राधिकारी अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम–11सन् 1948) की अधिसूचना क्रमांक एफ.8(1) वीडीए/न्यू.म./श्रम/2000/पार्ट–I 16158 दिनांक 20.08.2020 के अनुसार जूलाई, 2019 से जून, 2020 के 12 महीनों की अवधि में अजमेर एवं जयपुर केन्द्रों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का औसत 7132 (1960=100) रहा है और इस प्रकार पूर्व में श्रम ब्यूरो शिमला के अजमेर तथा जयपुर केन्द्रों द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6635 (1960=100) (माह जुलाई, 2018 से जून, 2019 के आंकडों के औसत) के ऊपर जुलाई, 2019 से जून, 2020 की अवधि में (7132–6635=497पॉइन्ट) 497 बिन्दुओं की बढ़ोतरी हुई है।

अतः राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एफ. 5(6)श्रम/86 दिनांक 11 नवम्बर, 1999 के द्वारा निर्धारित मान एवं निर्देशों के क्रम में न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों के अतिरिक्त न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम–11 सन् 1948) की धारा 2 खण्ड (ग) एवं (घ) सपठित धारा 4 की उपधारा (2) की अनुपालना में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ. 8(1)वीडीए/न्यू.म./श्रम/2000 पार्ट–I 16158 दिनांक 20.08.2020 के अनुसरण में **किसी पत्थर तोड़ने या पीसने में नियोजन (खानों के बाहर), ग्लास एवं चाइनावेयर, नमक उद्योग, ऊनी गलीचे बनाने वाले तथा दुशाले बुनने वाले संस्थान के नियोजन तथा पापड़ उद्योग में नियोजित कामगारों हेतु दिनांक** 1 अक्टूबर, 2020 से 30 सितम्बर, 2021 तक के लिए निम्नानुसार परिवर्तनशील महंगाई भत्ता देय होगा :–

| क्र. सं. | अनुसूचित नियोजन का नाम | | कर्मचारियों के वर्ग | न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरें (प्रति माह / प्रति दिन रू0 में) | परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें (प्रति माह / प्रति दिन रू0 में) | कुल मजदूरी (प्रति माह / प्रति दिन रू0 में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | पत्थर तोड़ने या पीसने में नियोजन (खानों के बाहर) | 1. क | <u>अकुशल कामगार</u><br>बेलदार, वर्ककीपर, जलधारी, क्रेच अटेन्डेन्ट, स्वीपर, पत्थर ढ़ोने वाला | रू0 2106 / – प्रति माह | रू0 5129 / – प्रति माह | रू0 7235 / – प्रति माह |
| | | ख | <u>मददगार, जरीबी</u> | रू0 1583.15 प्रतिमाह | रू0 5129 / – प्रतिमाह | रू0 6712.15 प्रतिमाह |
| | | ग | चौकीदार, जमादार (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो परन्तु जो अकुशल कार्य करते हो) | रू0 2167.90 प्रतिमाह | रू 5129 / – प्रतिमाह | रू0 7296.90 प्रतिमाह |
| | | 2. | <u>अर्द्धकुशल कामगार</u><br>मुंशी, भू–सर्वेक्षक, मेट<br>(अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु जो अर्द्धकुशल कार्य करते हो) | रू0 2255 / – प्रतिमाह | रू 5129 / – प्रतिमाह | रू0 7384 / – प्रतिमाह |
| | | 3. क | <u>कुशल कामगार</u><br>मिस्त्री, बढ़ई, जलाईदार, लुहार, यंत्रक, फिटर्स, लाईनमैन, बिजली वाला, वाशमेन | रू0. 2383 / – प्रतिमाह | रू 5129 / – प्रतिमाह | रू0 7512 / – प्रतिमाह |
| | | ख | मोटरगाडियों के ड्राईवर, 10 अश्वशक्ति मशीनों के ड्राईवर | रू0 2656 / प्रतिमाह | रू 5129 / – प्रतिमाह | रू0 7785 / – प्रतिमाह |
| | | ग | यांत्रिक, आन्ध्रिक, विस्फोटकर्ता, पत्थर चलित चालक | रू0 2656 / – प्रतिमाह | रू 5129 / – प्रतिमाह | रू0 7785 / – प्रतिमाह |
| 2. | ग्लास एवं चाईनावेयर | 1. | अकुशल कामगार | रू0 2106 / – प्रतिमाह | रू 5129 / – प्रतिमाह | रू0 7235 / – प्रतिमाह |
| | | 2. | अर्द्धकुशल कामगार | रू0 2255 / – प्रतिमाह | रू 5129 / – प्रतिमाह | रू0 7384 / – प्रतिमाह |
| | | 3. | कुशल कामगार | रू0 2383 / – प्रतिमाह | रू 5129 / – प्रतिमाह | रू0 7512 / – प्रतिमाह |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | नमक उद्योग | क | निर्माण कार्य (मैन्यूफैक्चरिंग)– क्यारियों का समतल करना, धुलाई, सफाई, रेस्टा फैलाना, नील हटाना, तारी तोड़ना, नालियों की सफाई आदि घाटी से चिकनी मिट्टी हटाना, क्यारियों का पुनर्भरण | रू0 2106/– प्रतिमाह | रू 5129/– प्रतिमाह | रू0 7235/– प्रतिमाह |
| | | ख | निकासी एवं भण्डारण | | | |
| | | 1. | ढेर लगाना, ढुलाई तथा ट्रकों में लदाई जहां से कार्य एक ही कामगार टोली द्वारा किया जावे (100 क्यूबिक फीट) | रू0 33.55 प्रति 104.25क्यू. मीटर्स | रू0 5129/– प्रतिमाह या रू0 197.27 प्रतिदिन | – |
| | | 2. | ढेर लगाना ,ढुलाई या बोरी | रू0 2106/– प्रतिमाह | रू0 5129/– प्रतिमाह | रू0 7235/– प्रतिमाह |
| | | ग | प्रेषण कार्य में ट्रकों में लदाई सम्मिलित रूप से अथवा अकेले | | | |
| | | 1. | कटाई एवं भराई | रू0 272.75 प्रति 156 बेग्स या 145 क्विन्टल | रू 5129/– प्रति माह या रू0 197.27 प्रति दिन | – |
| | | 2. | तुलाई एवं लदाई | रू0 435.63 प्रति 156 बेग्स या 145 क्विन्टल | रू0 5129/– प्रति माह या रू0 197.27 प्रति दिन | – |
| | | 3. | सिलाई | रू0 52.35/– प्रति 156 बेग्स या 145 क्वि. के वेगन लोड परन्तु 60रू0 प्रतिदिन से कम नहीं होगा | रू0 5129/– प्रति माह या रू0 197.27 प्रति दिन | – |
| | | घ | सामान्य | | | |
| | | 1. | पम्पिंग कामगार मिस्त्री | रू0 117.57 प्रतिदिन | रू0 197.27 प्रतिदिन | रू0 314.84 प्रतिदिन |
| | | 2. | अन्य प्रणाली या कार्य जो उपरोक्त में सम्मिलित नहीं है। | रू0 81/– प्रतिदिन | रू0 197.27 प्रतिदिन | रू0 278.27 प्रतिदिन |
| | | 3. | बंधेवाल | रू0 327.41 प्रति मीट्रिक टन | रू0 5129/– प्रतिमाह या रू0 197.27 प्रतिदिन | रू0 524.68 प्रतिदिन |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | ऊनी गलीचे बनाने वाले तथा दुशाले बुनने वाले सस्थान के नियोजन | 1. | टाईम रेट मेन्यूअल ऑक्यूपेशनल मिनिमम टाइम रेट | रू0 2106 / – प्रतिमाह या 81 रू0 प्रतिदिन | रू0 5129 / – प्रतिमाह या रू0 197.27 प्रतिदिन | रू 7235 / – प्रतिमाह या रू0 278.27 प्रतिदिन |
| | | 2. | <u>पीस रेट ऑक्यूपेशन</u> | | | |
| | | क | यार्न ओपनर<br>मिल स्पून 40 काउन्ट तक | रू0 4.05 प्रति किलो (हैण्ड स्पून 30 किलो तक)रू0 8.10प्रति किलो | रू0 5129 / – प्रतिमाह या रू0 197.27 प्रतिदिन | – |
| | | | मिल स्पून 70 काउन्ट तक | रू 9.25 प्रति किलो | रू0 5129 / – प्रतिमाह या रू0 197.27 प्रतिदिन | – |
| | | | मिल स्पून 70 काउन्ट से अधिक | रू0 10.38 प्रति किलो | रू0 5129 / – प्रतिमाह या रू0 197.27 प्रतिदिन | – |
| | | अ | स्पिनर वूल स्पून | रू0 2329 प्रति किलो | रू0 5129 / – प्रतिमाह या रू0 197.27 प्रतिदिन | – |
| | | ब | वाशरमैन | रू0 2678 प्रति माह | रू0 5129 / – प्रतिमाह | रू0 7807 / – प्रतिमाह |
| | | स | ड्राईवर | रू0 2663 प्रति माह | रू0 5129 / – प्रतिमाह | रू 7792 / – प्रतिमाह |
| | | द<br>1. | <u>वीयर प्लेन कारपेट (एक रंग )</u><br>40,000 नॉटस तक प्रति वर्ग गज | रू0 141.72 प्रति वर्गमीटर | रू0 5129 / – प्रतिमाह या रू0 197.27 प्रतिदिन | – |
| | | 2. | 40000 नॉटस से अधिक के नमूनेदार गलीचे | रू0 144.57 प्रति वर्गमीटर | रू0 5129 / – प्रतिमाह या रू0 197.27 प्रतिदिन | – |
| | | 3. | 15 रंगो वाले 30 हजार नॉटस तक | रू0 227.68 प्रति वर्गमीटर | रू0 5129 / – प्रतिमाह या रू0 197.27 प्रतिदिन | – |
| | | 4. | 20 रंगों वाले 30 हजार नॉटस तक | रू0 275.33 प्रति वर्गमीटर | रू0 5129 / – प्रतिमाह या रू0 197.27 प्रतिदिन | – |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5. | 20 रंगों से अधिक और 40 हजार नॉटस | रू0 428.83 प्रति वर्गमीटर | रू0 5129/– प्रतिमाह या रू0 197.27 प्रतिदिन | – |
| | | च | क्लीनर्स | रू0 2504 प्रति माह | रू0 5129/– प्रतिमाह | रू0 7633/– प्रतिमाह |
| | | | <u>(4 ग 4) नॉटस</u> | | | |
| | | छ | एम्बेजर्स | रू0 2752 प्रतिमाह | रू0 5129/– प्रतिमाह | रू0 7881/– प्रतिमाह |
| | | ज | कारपेट मिस्त्री | रू0 2541 प्रतिमाह | रू0 5129/– प्रतिमाह | रू0 7670/– प्रतिमाह |
| 5. | पापड़ उद्योग | 1. | 1.6 इंच साईज तक के पापड प्रति सैकड़ा | रू0 15.11 | रू0 5129/– प्रतिमाह या रू0 197.27 प्रतिदिन | – |
| | | 2. | 2.6 इंच से अधिक तथा 8 इंच तक के पापड़ प्रति सैकड़ा | रू0 19.62 | रू0 5129/– प्रतिमाह या रू0 197.27 प्रतिदिन | – |
| | | 3. | 8 इंच से अधिक तथा 10 इंच तक के पापड़ प्रति सैकड़ा | रू0 22.60 | रू0 5129/– प्रतिमाह या रू0 197.27 प्रतिदिन | – |
| | | 4. | 10 इंच से अधिक तथा 12 इंच तक के पापाड़ प्रति सैकड़ा | रू0 30.19 | रू0 5129/– प्रतिमाह या रू0 197.27 प्रतिदिन | – |
| | | 5. | पापड बेलने के कार्य के अतिरिक्त जो भी कर्मचारी इस नियोजन में नियोजित है उसे दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान में नियोजित कर्मचारी के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों के अनुसार भुगतान देय होगा तथा वी.डी.ए. इस नियोजन के अन्य कामगारों के समान देय होगा। | – | – | – |

## स्पष्टीकरण

1. उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशित पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ.5(6)श्रम / 86 दिनांक 11 नवम्बर, 1999 के अनुक्रम में पढ़ा अथवा समझा जावे।
2. उक्त पांचों अनुसूचित नियोजनों के कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना जुलाई, 2019 से जून, 2020 तक बढ़े हुए औसत सूचकांक (497 अंक) एक रूपया प्रति बिन्दु प्रति माह के मान से की गई है। गणना रूपये के निकटतम मूल्य के अनुसार की गई है।
3. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मचारी को देय न्यूनतम मजदूरी की दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिए नियत कुल मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की जावेगी।
4. दैनिक परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना मासिक परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में 26 का भाग देकर की जावेगी।
5. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों पर भी लागू होगी।
6. ये वी.डी.ए. दरें 1 अक्टूबर, 2020 से लागू होगी।

राज्यपाल के आदेश से,

(प्रतीक झाझड़िया)
श्रम आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948।

क्रमांकः एफ.8(1)वीडीए/न्यू.म./श्रम/2000/ पार्ट–1/ 19805–14 दिनांकः 30.09.2020

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. निदेशक, प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी (राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय) जयपुर को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
2. उप सचिव, मुख्यमंत्री, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. उप निदेशक, (आई.टी सेल) को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में करावे तथा विभाग की वेबसाईट पर प्रदर्श कराने का श्रम करे।
8. वरिष्ठ निजी सहायक, अतिरिक्त श्रम आयुक्त(मु0), राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त अधिकारी, मुख्यालय।

(प्रतीक झाझड़िया)
श्रम आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948।